

पूर्व रेलवे

सं.ई.850/हिंदी-2/5.4.6

कोलकाता, दिनांक : 27/04/2026

सभी प्रधान विभागाध्यक्ष,

मंडल रेल प्रबंधक - हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा

मुख्य कारखाना प्रबंधक - लिलुआ, जमालपुर, कांचरापाड़ा, सिग्नल कारखाना/हावड़ा

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - लिलुआ, जमालपुर, हालिशहर

वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक - हावड़ा

विषय : रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना - वर्ष - 2026

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 13/04/2026 का पत्र सं. हिंदी-2026/प्रशि.-7/4

कृपया रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन किया जाए। रेल कर्मियों सहित जनसाधारण के रेल यात्रा संबंधी अनुभवों को प्राप्त करने एवं उनके आधार पर रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा इसके साथ ही हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से अखिल स्तर पर यह पुरस्कार योजना लागू की गई है। तदनुसार इस योजना का अपनी रेलवे में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकें।

वर्ष 2026 के पुरस्कारों के लिए हिंदी में लिखे गए "रेल यात्रा वृत्तांत" (3000 - 3500 शब्दों के बीच) की टाइप की हुई 03 प्रतियां (02 रेलवे बोर्ड भेजने के लिए तथा 01 मुख्यालय के लिए) आवश्यक विवरण और घोषणा-पत्र के साथ मुख्यालय (राजभाषा विभाग) को दिनांक 29.05.2026 तक भिजवाई जाय ताकि आगे की कार्रवाई हेतु रेलवे बोर्ड भेजा जा सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि वृत्तांत संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांत का पूर्णतः अनुपालन करता हो अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्न: यथोक्त।


(डॉ. मधुसूदन दत्त)

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

सं. हिंदी-2026/प्रशि.-7/4

नई दिल्ली, दिनांक: 13.04.2026

महाप्रबंधक (राजभाषा)	महाप्रबंधक (राजभाषा)	महानिदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मध्य रेलवे, मुंबई	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	भा.रे.रा.अकादमी, वडोदरा	कौकण रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)	अ.अ.मा.सं., लखनऊ	रे.वि.नि.लि., नई दिल्ली
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	मेट्रो रेलवे, कोलकाता	इरिसेन, पुणे	कॉनकॉर, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज	इरिमी, जमालपुर	इरकॉन, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी	बरेका, वाराणसी	इरिसेट, सिकंदराबाद	राइट्स, गुरुग्राम
दक्षिण रेलवे, चेन्नै	सडिका, चेन्नै	इरिफेम, सिकंदराबाद	रेलटेल, गुरुग्राम
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद	रेडिका, कपूरथला	इरिएन, नासिक रोड	आईआरसीटीसी, नई दिल्ली
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	चिरेका, चित्तरंजन	इरिटिम, लखनऊ	प्रधान मुख्य प्रशा. अधिकारी
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली	रेपका, बेंगलूरु	प्रबंध निदेशक	पटियाला रेलइंजन कारखाना,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	आ.रे.डि.का., रायबरेली	भा.रे.वि.नि., नई दिल्ली	पटियाला
पश्चिम रेलवे, मुंबई	निदेशक	डी.एफ.सी.सी.आई.एल,	कॉफमो, नई दिल्ली
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	जगजीवन राम रेसुब अकादमी,	नई दिल्ली	रजिस्ट्रार
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	लखनऊ.	क्रिस, नई दिल्ली	रेल दावा अधिकरण,
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	राष्ट्रीय रेल संग्रहालय,	प्रधान सचिव	नई दिल्ली
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर	नई दिल्ली.	भारतीय रेल सम्मेलन,	
		नई दिल्ली	

विषय: रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना - वर्ष- 2026

रेल कर्मियों सहित जनसाधारण के रेल यात्रा संबंधी अनुभव प्राप्त करने और उन अनुभवों के आधार पर रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा उनमें हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की "रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना" अखिल भारतीय स्तर पर लागू है। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है:-

प्रथम पुरस्कार (एक)	: 10,000/-रु.
द्वितीय पुरस्कार (एक)	: 8,000/-रु.
तृतीय पुरस्कार (एक)	: 6,000/-रु.
प्रेरणा पुरस्कार (पांच)	: 4,000/-रु. प्रत्येक

इस योजना से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आंशिक संशोधन किए गए हैं जो कि पत्र के साथ संलग्न हैं। अनुरोध है कि उपर्युक्त योजना का अपनी रेलवे/कार्यालय में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकें। वर्ष 2026 के पुरस्कारों के लिए हिंदी में लिखे गए रेल यात्रा वृत्तांत की टाइप की हुई 02 प्रतियां सहायक निदेशक, हिंदी (प्रशिक्षण), कमरा नं. 316, कॉफमो रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, आईटीओ, नई दिल्ली - 110002 को 31.07.2026 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न: यथोक्त

13/4/26

(डॉ. वी. सुगुणा)

निदेशक, राजभाषा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: बोर्ड कार्यालय, दया बस्ती तथा कॉफमो स्थित बिल्डिंग के कार्यरत बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना : मार्गदर्शी मिद्दांत

1.	प्रतियोगिता का नाम	रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना
2.	पुरस्कार की राशि	प्रथम पुरस्कार (एक): 10,000/-रु द्वितीय पुरस्कार (एक): 8,000/-रु तृतीय पुरस्कार (एक): 6,000/-रु प्रेरणा पुरस्कार (पांच): 4,000/-रु प्रत्येक
3.	पात्रता	कोई भी भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।
4.	प्रस्तुतीकरण	रेल यात्रा वृत्तांत हिंदी भाषा में होना चाहिए और मौलिक होना चाहिए। रेल यात्रा वृत्तांत न्यूनतम 3000 शब्दों और अधिकतम 3500 शब्दों तक होना चाहिए और डबल स्पेस में टाइप किया हुआ होना चाहिए, जिसके चारों तरफ कम से कम एक इंच का हाशिया होना चाहिए। पृष्ठ क्रमानुसार अंकित होने चाहिए। वृत्तांत के पहले पृष्ठ के ऊपर एक अलग पन्ना लगाया जाए, जिस पर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित विवरण दिया जाए:- 1. शीर्षक: रेल यात्रा वृत्तांत वर्ष- 2. उपशीर्षक: लेखक द्वारा दिया गया शीर्षक 3. नाम: 4. पदनाम: 5. आयु: 6. पता: कार्यालय : निवास 7. मातृभाषा: 8. रेलवे फोन नं: 9. मोबाइल नं: 10. ई मेल: 11. वृत्तांत के शब्दों की संख्या:
5.	रेल यात्रा वृत्तांतों की संख्या	प्रत्येक प्रतिभागी को केवल एक रेल यात्रा का वृत्तांत 02 प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6.	रेल यात्रा वृत्तांत भेजने की अंतिम तारीख	प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक निरपवाद रूप से भिजवा दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7.	रेल यात्रा वृत्तांतों की चयन प्रक्रिया	I. जिन रेल यात्रा वृत्तांतों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। II. रेल यात्रा वृत्तांत स्वरचित और मौलिक होना चाहिए। III. इस योजना में भाग लेने के इच्छुक केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस आशय का <u>घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का सतर्कता/अनुशासन एवं अपील नियम से संबंधित मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है। जो आवेदक सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ न तो किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला चल रहा है और न ही वे किसी प्रकार की सजा भुगत रहे हैं।</u> नोट- उक्त तीनों मदों (मद संख्या I, II और III) के संबंध में घोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य है। घोषणा पत्र में उक्त किसी भी मद का उल्लेख ना होने पर प्रविष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा।

		IV. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के चयन करने के लिए 03 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी, जिसमें 02 विद्वानों सहित निदेशक, राजभाषा सदस्य सचिव होंगे। V. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्राप्त रेल यात्रा वृत्तांतों की चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। VI. ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। यदि किसी वर्ष प्राप्त रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।
8.	अंतिम निर्णय	पुरस्कार दिए जाने के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
9.	प्रकाशन	पुरस्कृत रेल यात्रा वृत्तांत तथा कोई ऐसा रेल यात्रा वृत्तांत जिसे बोर्ड, विशेष रूप से प्रकाशन की दृष्टि से उपयुक्त समझता हो, बोर्ड के स्वविवेक पर किसी भी रूप में प्रकाशित किया जा सकेगा।
10.	प्रतिलिप्याधिकार	पुरस्कृत रेल यात्रा वृत्तांतों का प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के पास रहेगा।
11.	प्रविष्टियां भेजने का पता	सहायक निदेशक, हिंदी (प्रशिक्षण) शाखा, कमरा नं. 316, कॉफमो रेल कार्यालय परिसर राजभाषा विभाग, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), आई.टी.ओ, तिलक ब्रिज नई दिल्ली - 110002. (टेलीफोन नं 011-23303783)

ति 13/11/26
 SUGUNA
 Director (OL)
 Ministry of Railways
 New Delhi / New Delhi